राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ2(6)डीओपी/ए–II/84 जयपुर, दिनांक : 24.3.2015

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 19–क का संशोधन**.– राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 19–क के उप–नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II के पद" के पूर्व अभिव्यक्ति ",वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)" अंतःस्थापित की जायेगी।

3. **अनुसूची–I का संशोधन**.–उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–I में, शीर्ष "अनुभाग च–सामान्य अध्यापक" के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 8(घ) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक 8(ङ) और उसकी प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :–

"

8(ङ)	वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6 सामाजिक विज्ञान।	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा	**(i) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 1,2,3 और 5 पर के पदों के लिए :–** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें संबंधित विषय वैकल्पिक विषय के रूप में हो; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक 3. अंध विद्यालय/ मूक एवं बधिर विद्यालय में अध्यापक।	**(i) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 1,2,3 और 5 पर के पदों के लिए :–** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें संबंधित विषय वैकल्पिक विषय के रूप में हो; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ में स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	1. संबंधित रेंज का संयुक्त/उप निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा (सदस्य सचिव)। 2. निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती। 3. उप सचिव, शिक्षा।	रेंजवार	

			(ii) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 4 पर के पदों के लिए :– स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय हों : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो–बायोलोजी), जैव–प्रौद्योगिकी (बायो–टेक्नोलोजी) और जैव रसायन विज्ञान (बायो–केमिस्ट्री); और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।		**(ii) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 4 पर के पदों के लिए :–** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय हों : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो–बायोलोजी), जैव–प्रौद्योगिकी (बायो–टेक्नोलोजी) और जैव रसायन विज्ञान (बायो–केमिस्ट्री); और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ में स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।				
			(iii) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 6 पर के पदों के लिए :– स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय हों : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; और शिक्षा (विशेष		**(iii) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 6 पर के पदों के लिए :–** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय हों : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र ; और शिक्षा (विशेष				

			शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।		शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ में स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।			

"

4. अनुसूची–II का संशोधन.–उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–II में, –

(i) शीर्ष में विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II" के पूर्व अभिव्यक्ति ",वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)" अंतः स्थापित की जायेगी।

(ii) शीर्ष प्रश्नपत्र–I के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II" के पूर्व अभिव्यक्ति ",वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)" अंतः स्थापित की जायेगी।

(iii) शीर्ष प्रश्नपत्र–II के अधीन विद्यमान उप–शीर्ष **"क. वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए :–"** के स्थान पर उप–शीर्ष **"क. वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद के लिए :–"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(ओ॰पी॰गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

6/2015